

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2559]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 16, 2014/अग्रहायण 25, 1936

No. 2559]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 16, 2014/AGRAHAYANA 25, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3195(अ).—केंद्रीय सरकार, वन (संरक्षण) नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4क के उप-नियम (1) के अनुसरण में; उसमें विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों को करने के लिए, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तरी जोन, चंडीगढ़ में क्षेत्रीय सशक्त समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् यथा क्षेत्रीय सशक्त समिति कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे, अर्थात् :—

- |       |  |                |
|-------|--|----------------|
| (i)   | अध्यक्ष क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तरी जोन, चंडीगढ़  | —अध्यक्ष       |
| (ii)  | मुख्य वनपाल या वनपाल, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तरी जोन, चंडीगढ़ की पंक्ति के अधिकारियों में से ज्येष्ठतम अधिकारी                                       | —सदस्य         |
| (iii) | श्री वी. एन. शर्मा<br>मकान सं. 6, सेक्टर 4,<br>त्रिकुटा नगर, जम्मू 180012 जम्मू - कश्मीर<br>(ई मेल -sharmas.sharmas@yahoo.co.in)                     | —अशासकीय सदस्य |
| (iv)  | श्री गौरव गौड, सहायक आचार्य, सेंटर फॉर सोशल वर्क, पंजाब विश्वविद्यालय,<br>नार्थ केम्पस सेक्टर 14, चंडीगढ़ यूटी -160014<br>(ई मेल - gaurpu@gmail.com) | —अशासकीय सदस्य |

- (v) श्री कुलदीप सिंह, 2704, सेक्टर 69, मोहाली 160062 पंजाब (ई मेल – [kuldipsingh.1953@gmail.com](mailto:kuldipsingh.1953@gmail.com)) —अशासकीय सदस्य
- (vi) उपवनपाल, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तरी जोन, चंडीगढ़ की पंक्ति के अधिकारियों में से ज्येष्ठतम अधिकारी —सदस्य सचिव

2. हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और चंडीगढ़, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के निम्नलिखित प्रतिनिधि, क्रमशः हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में वन भूमि के अपयोजन से संबद्ध प्रस्तावों के परीक्षण के लिए क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में हाजिर होने के लिए विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किए जाएंगे, अर्थात् :—

(क) हरियाणा सरकार:

- (i) वनपाल (एफ सी) और नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, हरियाणा सरकार;
- (ii) विशेष सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग।

(ख) पंजाब सरकार:

- (i) मुख्य वनपाल (एफ सी) और नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, पंजाब सरकार ;
- (ii) विशेष सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग।

(ग) चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन:

- (i) वनपाल, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, चंडीगढ़ ;
- (ii) उपायुक्त संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, चंडीगढ़।

3. अशासकीय सदस्यों के नियुक्ति की निबंधनें उक्त नियम के नियम 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगी।

[फा. सं. 6-22/2014-आरओएचक्यू]

डा. एस.एस. नेगी, अति. वन महानिदेशक (एफ सी)

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(REGIONAL OFFICES HEADQUARTERS DIVISION)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2014

**S.O. 3195(E).**—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4A of the Forest (Conservation) Rules, 2003 (hereinafter referred to as the said rules), the Central Government hereby constitutes the Regional Empowered Committee at Regional Office, Northern Zone, Chandigarh (hereinafter referred to as the Regional Empowered Committee) to exercise the powers and perform the functions specified therein, comprising of the following Members, namely:—

- (i) Head of the Regional Office, Northern Zone, Chandigarh —Chairperson
- (ii) Senior most officer from amongst officers in the rank of Chief Conservator of Forests or Conservator of Forests in the Regional Office, Northern Zone, Chandigarh —Member